(11)

श्री अवध किशोर ठाकुर अभि०
द्वारा आज दि. 21-8-14 को
प्रस्तुत
क्लर्क 21-8-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

## न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म0 प्र0

प्रकरण क्र. /13–14 निगरानी R 2648-II/14

रामसिंह पुत्र वारेलाल जाति लोधी
निवासी–ग्रमा मूढ़रा बहादरा,
तहसील–मुंगावली, जिला
अशोकनगर म0 प्र0

.....निगरानीकर्ता

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

...प्रतिनिगरानीकर्ता

अवधकिशोर सिंह ठाकुर एड
21/8/14

**निगरानी आधीन धारा 50 म0प्र0भू0राज0 संहिता 1959 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त संभाग ग्वालियर के प्र0क्र0 698/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27/7/12 के विरूद्ध**

आदरणीय महोदय,

सेवा में सादर निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

**मामले के संक्षिप्त तथ्य :**

1. यहकि, ग्राम मूढ़रा वहादरा स्थित भूमि सर्वे क्र. 92/3 मि. रकवा 1.045 हेक्टर भूमि पर आवेदक का करीब 40 वर्ष से भी अधिक वर्षो से कब्जा होने से अधिनस्थ विचारण न्यायालय तहसीलदार महोदय के प्रकरण क्र. 85 ए19/89–90 आदेश दिनांक 4–5–90 से म0 प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबन्ध

XIx(a)BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 2648-दो/2014 निगरानी जिला अशोकनगर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 6.7.16 | यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 689/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 27-7-2012 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत दिनॉक 21-8-2014 को प्रस्तुत की गई है।<br>2/ अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर आवेदक के अभिभाषक को सुना गया । आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि वृद्धावस्था के कारण आवेदक चलने-फिरने में कठिनाई महसूस करता है तथा प्रकरण में तारीखों पर उसका लड़का आता जाता रहा एंव नियुक्त अभिभाषक से संपर्क करता रहा, किन्तु 2 वर्ष से लड़का अलग रहने लगा एंव रंजिश रखने लगा, जिसके कारण प्रकरण में हुये आदेश की जानकारी उसने समय पर नहीं दी और न ही अभिभाषक ने जानकारी समय पर दी। दिनांक 19-8-14 को अभिभाषक के पास पहुंचने पर आदेश की जानकारी हुई, तब प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर निगरानी जानकारी के दिन से अन्दर म्याद की गई है।<br>3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर गौर करने से पाया गया कि जब आवेदक की ओर से प्रकरण में अभिभाषक नियुक्त है एंव अभिभाषक को आदेश की जानकारी समय पर है तब यही माना जावेगा कि आवेदक को आदेश की जानकारी यथासमय है लड़के का अलग रहना एंव रंजिश रखने का तथ्य बताना अविश्वसनीय है। अतएव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनॉक 27-7-2012 के विरूद्ध दिनांक 21-8-2014 को प्रस्तुत निगरानी दो वर्ष से अधिक समय वाह्य है जो बेरूम्याद होने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है।<br><br>(हस्ताक्षर)<br>सदस्य | |